ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-8* September- 2021
Innovation The Research Concept

वर्तमान में अनुसूचित जाति के राजनीतिक अधिकारों का व्यवहारिक अध्ययन

Practical Study of the Political Rights of Scheduled Castes in Present Era

Paper Submission: 10/09/2021, Date of Acceptance: 23/09/2021, Date of Publication: 24/09/2021

प्रीति चौहान
शोध छात्रा,
राजनीति विज्ञान विभाग,
महिला महाविद्यालय,
सतीकुण्ड, कनखल,
हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत

शशि प्रभा
विभागाध्यक्ष,
राजनीति विज्ञान विभाग,
महिला महाविद्यालय,
सतीकुण्ड, कनखल,
हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत

सारांश

मानव जाति का परम लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ सभी मनुष्यों को अपने विकास के लिए समुचित अवसर प्राप्त हो तथा उनके साथ किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव या अन्याय न हो। प्रकृति ने मनुष्य को सभी प्राणियों में श्रेष्ठतम स्थान दिया है। इस कारण से वे अपने आप में बहुमूल्य है 18 वीं सदी के महान जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट ने मानवीय गरिमा के विषय में कहा ''हर चीज की या कीमत होती है या गरिमा। जिसकी कीमत होती है, उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज भी रखी जा सकती है। यह विचार उन लोगों के लिए एक संबल था जो लोग सामाजिक ऊँच-नीच के खिलाफ और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे है। समाज में ये लोग लिंग, जाति, नस्ल, धर्म, रंग भेद, आदि के आधार पर शोषण का शिकार बन रहे है।

भारतीय समाज में विद्यमान ऐसी राजनीतिक, सामाजिक, व आर्थिक विषमताओं ने आरम्भ से ही हमारे नीति निर्माताओं का ध्यान आकृष्ट किया है। समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति, व अनुसूचित जनजातियों को इन विषमताओं का भुक्तभोगी माना गया है। इसी को ध्यान में रखते हुये स्वाधीनता के पश्चात निर्मित संविधान में इन जातियों का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्तर ऊपर उठाने के लिए अनेक उपाय किये गये, ताकि इन जातियों को कुछ सुविधाँऐं एवं अधिकार प्रदान कर अन्य जातियों के समकक्ष लाया जा सके, इस व्यवस्था के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर सेवाओं में आरक्षण प्रदान किया गया। सामाजिक न्याय भारतीय संविधान का उद्देश्य है। इसलिए समाज में व्यापत राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषमताओं को दूर कर वांछित सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तथा इस दुर्बल, शोषित,वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकें। भारतीय संविधान में आरक्षण के अतिरिक्त इन वर्गों के लिए कुछ अनुच्छेदों 14, 16, 17, 46, 330, एवं 342, 334 आदि में प्रावधान किया गया है।

स्वाधीनता के पश्चात अनुसूचित जाति को ऊपर उठाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएँ बनाई गई तथा विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में उन्हें आरक्षण प्रदान किया गया। ताकि उनके राजनीतिक एवं आर्थिक सतर में वृद्धि करके उनके सामाजिक स्तर को ऊपर उठाया जा सकें।

The ultimate goal of mankind is to create a society where all human beings get proper opportunities for their development and they are not subjected to any kind of discrimination or injustice on any grounds. Nature has given man the highest place among all beings. For this reason they are valuable in themselves. The great 18th century German philosopher Immanuel Kant said in the matter of human dignity, "Everything has a price or dignity." What has a value can be replaced by something else equivalent to it. This idea was a force for those people who are fighting for the rights and against the social high and low. In the society, these people are becoming victims of exploitation on the basis of gender, caste, creed, religion, color discrimination, etc. Such political, social, and economic disparities existing in Indian society have attracted the attention of our policy makers from the very beginning. The weaker sections of the society, especially the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, have been considered as the victims of these disparities. Keeping this in mind, many measures were taken to raise the political, social and economic status of these castes in the constitution framed after independence, so that these castes could be brought at par with other castes by providing some facilities and rights. Under the system, reservation in services was provided for the scheduled castes at the political and social level. Social justice is the aim of the Indian Constitution. Therefore, by removing the political, economic and social disparities prevailing in the society, the goal of desired social change can be achieved. And this weak, exploited, class can be connected with the main

stream of the society. Apart from reservation in the Indian Constitution, provision has been made for these sections in some articles 14, 16, 17, 46, 330, and 342, 334 etc. After independence, many programs and schemes were made by the government to uplift the scheduled castes and they were provided reservation in various government sectors. So that their social status can be raised by increasing their political and economic level.

मुख्य शब्द राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, दुर्बल, शोषित वर्ग, व्यवहारिक अध्ययन आदि।
Political, Social, Economic, Weaker, Depressed Classes, Behavioral Studies etc.

प्रस्तावना

प्रस्तुत शोध पत्र में ''वर्तमान में अनुसूचित जाति के राजनीतिक अधिकारों का व्यवहारिक अध्ययन देहरादून जनपद के विशेष सन्दर्भ में'' का अध्ययन किया गया है जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों के राजनीतिक, आर्थिक, एवं सामाजिक क्षेत्रों से सम्बन्धित आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत शोध पत्र में आंकड़ों का सकंलन उत्तराखण्ड के देहरादून जनपद के तीन विकासखण्डों में अनुभाविक शोध की सर्वेक्षण पद्धति के आधार पर सम्पन्न किया गया। शोध का क्षेत्र निदर्शन पद्धति के द्वारा दैवनिदर्शन व सोद्येश्य निदर्शन प्रणाली पूर्ण प्रणाली द्वारा क्षेत्र का चयन व अनुसूची प्रविधि द्वारा आँकड़े एकत्रित किये गये है।

साहित्य समीक्षा

रजनी कोठारी, ने अपनी पुस्तक ''भारत में राजनीति कल और आज'' (1970) में कहा है कि ''भारतीय समाज में जाति के विरोध की राजनीति तो हो सकती है। लेकिन जाति के बगैर नहीं। और राजनीति में जाति के निशान इसलिए दिखाई नहीं देते है, क्योंकि हमारे समाज में जाति का ठप्पा हर चीज पर है।

रामविलास भारती ने अपनी पुस्तक ''बीसवीं सदी में दलित समाज'' (2011) में कहा है भारत में समस्त समाज की मूल संरचना में आज भी दलित समस्या गंभीर रूप लिये हुये है।

कन्हैयालाल चंचरीक ने अपनी पुस्तक ''भारतीय दलित आंदोलन की रूपरेखा'' (2007) में यह बताने का प्रयास किया है कि भारत में वर्ण व्यवस्था जनित जातिभेद अस्पृश्यता ने अब तक के शूद्र अस्पृश्यों को समाज की मुख्यधारा से अलग कर रखा था। इस पुस्तक में स्वतन्त्रता संग्राम में दलितों के सक्रियता एवं विशिष्ट योग दान की चर्चा की गई है।

एस0 एम0 माइकल ने अपनी पुस्तक ''आधुनिक भारत में दलित द्रष्टि एवं मूल्य'' (2010) में यह कहने का प्रयास किया है कि भारत के सन्दर्भ में दलितों के मानव शास्त्रीय एवं समाजशास्त्रीय अध्ययन पर ध्यान केन्द्रित होना, भारतीय समाजशास्त्र में एक प्रमुख प्रवृत्ति का सूचक है वर्तमान में दलितों की आंकाक्षाँएओं से पूर्णतय भिन्न है यह परिवर्तन उस दृष्टिगत परिवर्तन की परिणाम है जो भूतकाल में अस्पृश्यो ने देखा था और आज भी देख रहे है।

जगवीर सिंह ने अपनी पुस्तक ''भारतीय समाज जाति परम्परा एवं परिवर्तन की प्रवृत्तियाँ, (2014) में यह बताने का प्रयास किया है कि ''भारत एक विविधताओं वाला देश है यहाँ जाति, धर्म, भाषा आदि में काफी भिन्नता देखने को मिलती है यहाँ की जनसंख्या लगभग सवा अरब हो चुकी है यहाँ के अधिकांश राज्यों में एक से अधिक संस्कृतियाँ है, एक से अधिक सांस्कृतिक क्षेत्र है, और प्रत्येक सांस्कृतिक क्षेत्र की अपनी एक भाषाई और क्षेत्रीय पहचान है किसी भी समाज के बाहा्र और आंतरिक परिवर्तन में जो सबसे महत्पूर्ण सवाल उभरता है वह है परिवर्तन की गति और दिशा, सामाजिक परिवर्तन की गति और दिशा ही किसी भी समाज को आकार देते है, इन्होनें इस पुस्तक में जाति प्रथा में सुधार या परिवर्तन और भारत मे जाति-विहीन समाज की स्थापना पर जोर दिया है।

सुमन कूल्हरी ने अपनी पुस्तक ''महिला एवं मानवाधिकार सवैधानिक स्वरूप अधिकार एवं दायित्व'' संदीप तिवारी ने अपनी पुस्तक ''दलित सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक विश्लेषण'' (2015) में यह कहा है कि ''भारत में दलित विकास के लिये स्वतन्त्रता से पहले ही प्रयास प्रारम्भ हो गयाा था सवंतत्रता के उपरान्त इस प्रयास में काफी तेजी आयी। केन्द्र सरकार के साथ-साथ देश की राज्य सरकारे भी दलितों के उत्थान हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाये, व दलितों के ऐतिहासिक स्वरूप को समझने के लिए आर्यों के आगमन से पूर्व की समाज व्यवस्था के अंतर्गत हमें मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास पर दृष्टिपात करना होगा। इस पुस्तक मे इन्होनें दलितो की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शैक्षिक स्थिति पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है।

एम0 के मिश्रा कमल दाधीच ने अपनी पुस्तक ''गांधी और दलित'' (2016) में यह बताने का प्रयास किया है कि ''महात्मा गांधी ने छुआछूत मिटाने के लिए अनवरत प्रयास प्रांरभ किए, गाधी जी का प्रारंभ उद्देश्य जाति प्रथा को जड़मूल से उखाड़ने का नही था, वे जातिप्रथा में सुधार लाना चाहते थे ताकि जाति विघटित नही हो पाए उन्होने इस संबध में कहा भी था, कि जाति प्रथा को

समाप्त करने का सबसे अधिक प्रभावशाली फलदायी तरीका यह है कि सुधारक स्वंय इस प्रकार का आचरण करें कि मानो जाति है, ही नहीं और यदि उन्हें इस आचरण में दुख भी उठाना पड़े तो सहर्ष उसे स्वीकार करे वांछनीय यह है कि स्वर्ण लड़कियाँ हरिजनों से विवाह करे। यदि मेरा बस चले तो में अपने प्रभाव में आने वाले सभी स्वर्ण हिन्दू लड़के-लड़कियों को इस बात के लिए तैयार कर दूंगा कि वे दलित विमर्श, अस्पृश्यता-निवारण-जागरण, अनुसूचित जाति की समस्याआं पर प्रकाश डाला है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. अनुसूचित जाति के लोगों में राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता का आंकलन करना।
2. अनुसूचित जाति की राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन करना।

परिकल्पना

1. स्वाधीनता के पश्चात् अनुसूचित जाति के लोगों में अधिकारों के प्रति जागरूकता आई है।
2. स्वाधीनता के पश्चात् अनुसूचित जाति की राजनीतिक, सामाजिक, व आार्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

अध्ययन पद्धति

देहरादून जनपद में अनुसूचित जाति के राजनीतिक अधिकारों के परीक्षण के लिए आनुभाविक शोध की सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया। अध्ययन में देहरादून जनपद के अनुसूचित जाति के लोगों से सूचनायें एकत्रित कर निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया है अतः देहरादून जनपद की समस्त व्यस्क जनता को शोध की जनसंख्या माना गया है और प्रातः निष्कर्षों को इसी जनंसख्या के लिए सामान्यीकृत किया गया है। अध्ययन में देहरादून जनपद के 6 विकासखण्डों में से तीन विकासखण्डों को सौदेश्य पद्धति के आधार पर चुना गया है। इसके पश्चात् प्रत्येक चयनित विकासखण्ड से 300 अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं का चयन दैव निदर्शन पद्धति के आधार पर चयन कर साक्षात्कार लिया गया। अनुसूची के माध्यम से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के राजनीतिक अधिकारों सम्बन्धित अध्ययन किया गया है।

क्या स्वाधीनता के पश्चात् अनुसूचित जाति की सामाजिक, व आार्थिक स्थिति में सुधार हुआ है

प्रारम्भ में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। किसी भी समाज की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को जानने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक शिक्षा, व्यवसाय, आय, आयु, आवास और गतिशीलता इत्यादि है। वर्तमान समय में अनुसूचित जातियां राजनीतिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्नशिल है। वे उच्च जातियां और वर्ग समूहों पर निर्भर है।

तालिका – 1

कमांक	उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	111	55.5
2	नहीं	60	30
3	कह नहीं सकते	29	14.5
	योग	200	100

उपरोक्त तालिका संख्या - 1 में आंकड़ों से ज्ञात होता है कि केवल 55.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है जबकि 30 प्रतिशत ने माना कि उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है जबकि 14.5 प्रतिशत लोगों ने इस सम्बन्ध में कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया है। अतः अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना है कि सामाजिक, आर्थिक में सुधार हुआ है।
तालिका संख्या - 1 से दृष्टिगोचर करने पर स्पष्ट होता है। कि अनुसूचित जाति की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में स्वतन्त्रता के पश्चात् सुधार हुआ है जो कि अच्छा संकेत है।

अनुसूचित जाति की राजनीतिक स्थिति के आधार पर तालिका राजनीतिक स्थिति

राजनीतिक स्थिति से तात्पर्य शासन सम्बन्धी कार्यों में बिना किसी भेदभाव के योग्यता अनुसार सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। वयस्क मताधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार तथा सार्वजानिक पद प्राप्त करने का अधिकार सबको समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। इसमें धन, जाति, रंग, लिंग, वर्ण के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

तालिका – 2

कमांक	उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	76	38
2	नहीं	88	44
3	कह नहीं सकते	36	18
	योग	200	100

उपरोक्त तालिका संख्या - 2 में प्रदर्शित आँकडों से ज्ञात होता है कि उत्तरदाताओं से साक्षात्कार के माध्यम से जब यह पूछा गया कि अनुसूचित जाति के लोगों की राजनीतिक स्थिति में सुधार हुआ है। तो 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा हां। लेकिन 44 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस

सम्बन्ध में कहा नहीं। जबकि 18 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा इस सम्बन्ध में हम कुछ कह नहीं सकते। अतः उपरोक्त साक्षात्कार से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने माना कि राजनीतिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

क्या स्वाधीनता के पश्चात् अनुसूचित जाति के लोगों में अधिकारों के प्रति जागरूकता आई है।

अनुसूचित जाति के लिए आवश्यक है कि उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता है देहरादून जनपद में जब उत्तरदात्ताओं से यह जानने का का प्रयास किया गया कि क्या अनुसूचित जाति के लोंगो में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई है। इस निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका संख्या - 3

क्रमांक	उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	129	64.5
2	नहीं	57	28.5
3	कह नहीं सकते	14	7
	योग	200	100

उपर्युक्त तालिका संख्या - 3 में प्रदर्शित आँकड़ों से ज्ञात होता है कि लगभग 64.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि उनमें अधिकारों के प्रति जागरूकता आई है। जबकि 28.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नही है। जबकि 7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस सम्बन्ध में कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया। अर्थात् उन्हें अधिकारों की जानकारी नहीं है इससे स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव है जोकि उनके अधिकारों की प्राप्ति में बाधक है। अतः इसका कारण अशिक्षा व अज्ञानता भी हो सकता है।

निष्कर्ष

अनुसूचित जाति के राजनीतिक अधिकारों की स्थिति के व्यावहारिक अध्ययन के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि देहरादून जनपद में अनुसूचित जाति के अधिकांश लोगों को अपने राजनीतिक अधिकारों के विषय में जानकारी नहीं है जबकि अनुसूचित जाति की सामाजिक स्थिति के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुसूचित जाति के लोगों में अपने अधिकारो के प्रति जागरूकता आई है लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों में राजनीतिक स्थिति के प्रति अंसतोष प्रकट किया, इस सम्बन्ध में अनेक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में मिले आरक्षण का लाभ उठाकर विभिन्न चुनावों में चयनित होते है। एवं सदन की बैठकों में भागदारी करते है यह भी तथ्य है कि सदन की बैठकों में उनके विचारों को ध्यानपूर्वक सुना भी नहीं जाता है जिसका कारण उनमें संवैधानिक नियमों एवं कानूनों की जानकारी का अभाव है।

अतः अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए जिनसे न सिर्फ उन्हें समस्त अधिकारों की जानकारी मिले वरन् इनके प्रति जागरूकता भी बढ़े। अनुसूचित जाति के लोगों की शिक्षा की ओर भी सरकारी प्रयास बढ़ाये जायें। सरकार की ओर से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये जिससे अनुसूचित जाति के विकास के लिए बनाये जाने वाली योजनाओं एवं कानूनों की जानकारी उन्हें उपलब्ध हो सकें। साथ ही इन योजनाओं एवं कानूनों की जानकारी उन्हें उपलब्ध हो सकें। साथ ही इन योजनाओं के विषय में समाचार पत्रों एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रचार - प्रसार किया जाना चाहिए ताकि सभी व्यक्तियों को इनकी जानकारी हो सकें एवं वे इनका लाभ उठा सकें। अतः अनुसूचित जाति के लोगों की शिक्षा एवं जागरूकता में वृद्धि कर उनके विकास में सहायता प्रदान की जा सकती है एवं राष्ट के विकास में योगदान दिया जा सकेगा।

सन्दर्भ सूची

1. *लाम्बा एस0 बी0, (2005) 'मानवाधिकार और पिछड़ा वर्ग'' पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर।*
2. *आन्द्रे बेटिल (1967), कास्ट, क्लास, पावर, बोम्बे आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।*
3. *कोहन बी0 एस0 (1955), दा चेन्जिंग स्टेट्स ऑफ डिप्रेस्ड फास्ट इन मेकिन मारियोर (सम्पा), विपेज इण्डिया, शिकागो, दा यूनिवर्सिटी आफ शिकागों।*
4. *चौहान बी.आर, (1968) दा पंचायती राज एण्ड दा डेमाक्रेटिक पोलिसी, सोशियोलोजीकल बुलेटिन, खण्ड - 171।*
5. *नारायण इकबाल (1964), डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन एण्ड रूरल लीडरशिप इन इंडियाः राजस्थान एक्सपेरीमेन्ट, एशियन सर्वे।*
6. *आहुजा राम, (1997) सामाजिक समस्यायें और सामाजिक परिवर्तन, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।*
7. *मुखर्जी, रवीन्द्र नाथ, (1964) भारतीय सामाजिक संस्थायों, सरस्वती सदन, मसूरी।*
8. *बलूनी दिनेश चन्द्र, ''जनपद देहरादूनः इतिहास और समाज'' (2020) समय साक्ष्य पृष्ठ संख्या - 284।*